देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

# जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2019/TWB/04

E-Newsletter, Issued in Public Interest

शुक्रवार, 15 मार्च 2019

## देश के विकास में बाधक कौन???

भ्रष्ट नेता??

रिश्वतखोर अधिकारी??

सफेदपोश माफिया??

बिका हुआ पत्रकार??

लालची ठेकेदार??

या

खामोश जनता??

## एक लाईसेंस से दो शराब की दूकान कैसे ???जिम्मेदार कौन???

### शराब व्यवसायियों की दबंगई

शुरू से ही शराब का व्यवसाय बाहुबल का रहा है,एक समय तो ऐसा था कि शराब व्यवसायी समानांतर व्यवस्था चलाने लग गए थे,शराब की लोटरी व्यवस्था ने इस समानांतर व्यवस्था को ख़त्म करने में अहम् भूमिका निभाई|परन्तु शराब के व्यवसाय में लिप्त पुराने व्यवसायियों ने समय के साथ पुनः अपनी धाक जमानी चालु कर दी है|इनकी दबंग शैली का ही उदाहरण है कि इन समूहों ने जयपुर जैसी राजधानी क्षेत्र में एक शराब के लाईसेंस की आड़ में शहर के प्रमुख मार्गों पर कई दुकाने चला रखी है|

### गोदाम के नाम पर चलता है यह खेल

एक लाईसेंस पर कई दुकानों का खेल देशी समूह में गोदाम के नाम पर खेला जाता है,देशी समूह वाले कमाई का रोना रोकर आबकारी विभाग के अधिकारियों से सांठ गांठ कर लेते है और एक लाईसेंस पर कई जगह दुकाने खोल देते है|

## उदाहरण-1

### गुर्जर की थडी के पास सरकारी जमीन पर केबिन में चल रही है ,अवैध देशी शराब की दूकान

पिछले एक साल से गुर्जर की थडी के पास सरकारी जमीन पर एक केबिन में देशी शराब की दूकान चल रही है|जब इसकी शिकायत संपर्क पोर्टल पर जे.डी.ए. में की गयी तो उन्होंने इसे आबकारी विभाग का मामला बता कर वहां पर ट्रांसफर कर दी|जवाब में आबकारी विभाग ने भी माना कि इस जगह पर सरकारी देशी शराब की दूकान स्वीकृत नहीं है,परन्तु इसके बावजूद उनके द्वारा इस दूकान को बंद करने की कोई कार्यवाही नहीं की|

**जिम्मेदार अधिकारी**

**आबकारी विभाग**

जिला आबकारी अधिकारी(जयपुर शहर) :- श्रीमती रेखा माथुर

आबकारी निरीक्षक ( वृत दक्षिण) :-श्री महेंद्र गुप्ता

**पुलिस विभाग**

थानाधिकारी (मानसरोवर) :-श्री सुनील कुमार

**कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त दक्षिण, जयपुर शहर**

क्रमांक :- 306 दिनांक :- 18.05.2018

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर।

विषय :- राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायत (परिवाद संख्या 05180273624073 दिनांक 14.05.2018) के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- श्रीमान का पत्रांक परिवाद/जिआअ/17/1763 दिनांक 17.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि शिकायत में अंकित स्थल गुर्जर की थडी वार्ड संख्या 42 का क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र में देशी मदिरा समूह वार्ड संख्या 42 में दो मदिरा दुकानें स्वीकृती योग्य है परन्तु विभाग द्वारा देशी मदिरा की एक मदिरा दुकान वीर तेजाजी रोड माध्यम मार्ग पर स्वीकृत की गई है। परिवाद में अंकित स्थल पर कोई मदिरा दुकान की लोकेशन स्वीकृत नहीं की गई है। परिवाद निस्तारण योग्य है।

रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

(महेन्द्र कुमार गुप्ता)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त दक्षिण, जयपुर शहर

Received 18/05/18

## उदाहरण-2

### वर्षों से महारानी फार्म,रिवर फ्रंट पुलिया के पास चल रही है अवैध देशी शराब की दूकान

ऐसी ही एक दूकान दुर्गापुरा,महारानी फ़ार्म रिवर फ्रंट पुलिया के पास पिछले कई साल से संचालित की जा रही है|जिसकी सूचना मांगने पर बताया गया कि इस लोकेशन पर अभी कोई सरकारी शराब का ठेका नहीं है,वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में वार्ड समूह 40+41 का रिटेल का गोदाम स्वीकृत रहा है|आबकारी सूत्रों के अनुसार यह दूकान एक पुराने शराब व्यवसायी द्वारा संचालित की जा रही है|जिसकी पहुँच विभाग में उपर तक है|जिसके चलते इस दूकान को बंद करवाने की आज तक कोई अधिकारी हिम्मत नहीं कर सका है|

**जिम्मेदार अधिकारी**

**आबकारी विभाग**

जिला आबकारी अधिकारी(जयपुर शहर) :- श्रीमती रेखा माथुर

आबकारी निरीक्षक ( वृत दक्षिण) :-श्री महेंद्र गुप्ता

**पुलिस विभाग**

थानाधिकारी(शिप्रा पथ) :-श्री सुरेन्द्र सिंह

**कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर**

क्रमांकः- 6963 दिनांकः- 12/9/18

श्री निहाल कुमावत,
18, राठौड़ नगर, क्वींस रोड़
वैशाली नगर, जयपुर।

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।

प्रसंगः— आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना निम्नानुसार है :—

1. विवेचित स्थल पर सरकारी देशी शराब का ठेका नहीं था।
2. सूचना शून्य है।
3. कार्यालय रिकार्ड के अनुसार विगत 3 वर्षो में उक्त विवेचित स्थल पर शराब की दुकान संचालित नहीं रही है।
4. वित्तीय वर्ष 2016—17 में उक्त विवेचित स्थल पर वार्ड समूह 40+41 का रिटेल गोदाम स्वीकृत रहा है। वित्तीय वर्ष 2017—18 में भी उक्त विवेचित स्थल पर मई, 2017 से सितम्बर, 2017 तक वार्ड समूह 40+41 का रिटेल का गोदाम स्वीकृत रहा है।
5. वर्ष 2018—19 हेतु टिप्पणी बिन्दु संख्या 1 के अनुरूप है।
6. सूचना शून्य है।

(राजेश वर्मा)
जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर

## आबकारी विभाग मौन

इस पुरे खेल में आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौन है,क्यूंकि उनके लिए राजस्व की प्राप्ति अहम् है,उनको राजस्व के आगे कोई दिखता ही नहीं है|उनकी हर गलती पर पर्दा डालने के लिए राजस्व की आड़ है|

## पुलिस नींद में

इस पुरे मामले पुलिस विभाग अपनी नींद में व्यस्त है|थाने की जीप कई बार इन दुकानों पर आती है,दबिश देती है,शराबियों को पकड़ कर ले जाती है परन्तु हर महीने बंधी मिलने के कारण उनको यह पता नहीं चलता या जान कर भी अनजान बन जाते है कि उनके थाना क्षेत्र में चलने वाली दुकाने वैध है या अवैध|

## पुलिस महानिदेशक ने निकाला आदेश

ऐसे ही मामलों में गंभीरता दिखाते हुए पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने सभी रेंज प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को निर्देश देकर उन दुकानों को चिन्हित करने के लिए कहा है जो बिना लाईसेंस चल रही है|

देखना यह है कि चुनावी माहौल में इन दुकानों को बंद करवाने की हिम्मत कौन दिखाता है|

# एक लाइसेंस से शराब की कई दुकानें चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

जयपुर. जयपुर. नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब कारोबारियों पर अब पुलिस भी कार्रवाई करेगी। एक ही लाइसेंस पर कई दुकानें खोलने वालों को चिह्नत कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों से अवैध रूप से आने वाली शराब को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। पुलिस अक्सर शराब की दुकानों के मामलों में कार्रवाई से बचती रही है। अब पुलिस मुख्यालय ने इसे गम्भीरता से लिया है। आठ बजे शराब की दुकान बंद कराने के नियम की सख्ती से पालने के लिए पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने सभी रेंज प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) बीएल सोनी ने बुधवार को ही आदेश देकर उन दुकानों को चिह्नित करने के लिए कहा है, जो बिना लाइसेंस चल रही हैं।

दिनांक 14/03/2019 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर